राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर, दिनांक: 25 NOV 2021

–:अधिसूचना:–

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 89 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 89 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत जोधपुर एवं अजमेर विकास प्राधिकरण में शक्तियों का प्रत्यायोजन जोन स्तरीय समिति को निम्नानुसार किया जाता है–

1. जोन स्तरीय कमेटी का गठन

संबंधित जोन उपायुक्त	–	संयोजक
उप/सहायक नगर नियोजक	–	सदस्य सचिव
तहसीलदार	–	सदस्य
संबंधित सहायक/अधिशाषी अभियन्ता	–	सदस्य

2. उक्त समिति निम्नानुसार कार्य करेगी :–
    1. दिनांक 17.06.1999 से पूर्व सर्जित आवासीय योजनाओं के ले–आउट प्लान का अनुमोदन।
    2. 3000 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के भूखण्डों का पुनर्गठन एवं उपविभाजन।
    3. अनुमोदित योजनाओं में संशोधित ले–आउट प्लान अनुमोदन।
    4. 2500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर भवन मानचित्र अनुमोदन (प्लिंथ/स्टिल्ट+18 मीटर ऊंचाई तक के भवन)।
    5. गृह निर्माण सहकारी समिति/खातेदारों की भूमियों पर बसी योजनाओं का नियमन।
    6. अभियान अवधि के दौरान जोन स्तरीय समिति के निर्णयों पर आपत्ति/शिकायत प्राप्त होने पर उन निर्णयों की समीक्षा संबंधित प्राधिकरण के सचिव द्वारा की जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner